


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा जिला दौसा।

हुकम या कार्यवाही मय इनिपियल्स जज  
मंगलराम चनाम विशाल वर्ग  
प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तारीख  
को जारी हुए।

05.05.2024

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी की अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। एवं प्रस्तुत पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। जिससे प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय से पाबंद किया जाता है कि वे आराजी खसरा नं0 51/2 रकबा 1.2899 हैक्टेयर, भूमि स्थित वाके ग्राम सोनड़ तहसील रामगढ पचवारा की कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नही करे व ख0न0 51/2 की सीमा में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करें। प्रकरण दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर तलवी अप्रार्थीगण जारी होकर पत्रावली दिनांक 01.07.24 को पेश हो।

  
उपखण्ड अधिकारी  
रामगढ पचवारा (दौसा)

17/24

पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी दौरे पर  
हागत आदेश की पालना में दिनांक 23/9/24  
को पेश हो।

मैर

3/9/24

पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी दौरे पर  
हागत आदेश की पालना में दिनांक 3/12/24  
को पेश हो।



9/12/24

पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी दौरे पर  
हागत आदेश की पालना में दिनांक 25/1/25  
को पेश हो।

मैर

25/1/25

पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी दौरे पर  
हागत आदेश की पालना में दिनांक 27.1.25  
को पेश हो।

मैर

27/1/25

पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी दौरे पर  
हागत आदेश की पालना में दिनांक 27.1.25  
को पेश हो।

वकील अनुराग ने कार्य  
रुथगिर रखा

13/2/25

13.2.25 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपर।  
आपकीजग भी वकील जारी होकर पत्रा  
दिनांक 16.05.25 को पेश हो।

*[Signature]*

Note  
Pratt  
Munshi  
7/4/25

7/4/25 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपर।  
वकील प्रार्थी ही अपना आप पत्र भर्तक  
विधेहाजा आगे नहीं चलाना चाहता है  
नोट प्रसंग में स्वार्थिक करवाना पसंद  
है।

अतः प्रार्थी का धारणा - पत्र  
ब्लॉक अदालत की आवना से  
होर-प्रसंग में स्वार्थिक किया जात  
है आदेश दिनांक 16.05.2025 विधि  
किया जात है पत्रावली पेश  
शुगर होकर कोर्टकगित्य राशि  
दफ्तार है।

*[Signature]*

उपस्थान अधिकारी  
शामग पत्रावली (दस्ता)